न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 44/2024
दायर दिनांक : 06/08/2024
निर्णय दिनांक : 27/11/2025

उनवान

1 नोसर पिता तेजू गाडरी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
2 गोवर्धन पिता तेजू गाडरी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
3 भूरीबाई पत्नि तेजू स्व. गाडरी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 हीरालाल पिता गोकल गाडरी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
2 टमू पत्नी गोकल गाडरी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
3 तहसीलदार भूपालसागर
4 स्टेट बैंक ऑफ इडिया भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री आसिफ ईकबाल, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। पटवार हल्का बबराणा तहसील भूपालसागर में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 2 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग की निम्न कृषि आराजियात खातेदारी में स्थित है। खाता संख्या नया 318 पुरानी 319 खसरा स0 1212 क्षेत्रफल 0.0300 है0, खसरा स0 1215 क्षेत्रफल 0.0400 है0, खसरा स0 1229 क्षेत्रफल 0.2400 है0, खसरा स0 1282 क्षेत्रफल 0.2000 है0, खसरा स0 1884 क्षेत्रफल 0.1700 है0, खसरा स0 1885 क्षेत्रफल 0.3900 है0, खसरा स0 1886 क्षेत्रफल 0.2800 है0, खसरा स0 1887 क्षेत्रफल 0.3900 है0, खसरा स0 1888 क्षेत्रफल 0.9700 है0, खसरा स0 1920 क्षेत्रफल 0.5300 है0, खसरा स0 1942 क्षेत्रफल 0.7200 है0, खसरा स0 1943 क्षेत्रफल 0.5700 है0, खसरा स0 1954 क्षेत्रफल 0.6200 है0, खसरा स0 1955 क्षेत्रफल 0.5100 है0, खसरा स0 1956 क्षेत्रफल 0.0100 है0, खसरा स0 1957 क्षेत्रफल 0.4100 है0, खसरा स0 1958 क्षेत्रफल 0.0200 है0, खसरा स0 1959 क्षेत्रफल 0.1800 है0, खसरा स0 1964 क्षेत्रफल 0.1100 है0, 2074/1943 0.1300 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 7.5200 है0 कुल लगान 40.92 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात में प्रत्येक प्रार्थी 1/8 हक व हिस्सा निहित है। खाता संख्या नया 61 पुराना 105 खसरा संख्या 1210 मीन क्षेत्रफला 0.1400 है0 खसरा संख्या 1214 मीन क्षेत्रफला 0.1100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 है0 लगान 7.000 । चरण संख्या 2 ब में वर्णित आराजियात में प्रत्येक प्रार्थी का 1/6 हक व हिस्सा निहित है। खाता संख्या नया 316 पुराना 317 ख0स0 1211 क्षेत्रफल 0.1000, ख0स0 1213 क्षेत्रफल 0.0400 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1400 2 – स में वर्णित आराजियात में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति तेजू पुत्र नंदा का 1/4 हक व हिस्सा निहित है जिनका निधन होने से प्रत्येक वादी 1/12 हक हिस्सा है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 2 तक के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित खेती आराजियात हैं उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का हक हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं इसी अनुसार प्रार्थीगण अपने की भूमि खेतीकर रहा है किंतु राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग नही होने से आए दिन विवाद रहता है। इस कारण प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में [illegible] हिस्सा अलग कराने की वैधानिक है इस कारण उक्त कृषि आराजियात का विधि अनुसार मिट[illegible] एण्ड बाउण्डस में विभाजन आराजियात कराया जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 1 2 आए दिन [illegible] से लडाई झगडा करने पर आमदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

रहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाए जाए कि चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कराए बगैर विपक्षीगण भूमि को किसी प्रकार से अंतरित नही करे न ही किसी प्रकार से खुद बुर्द करें, न भूमि के स्वरूप में परिवर्तन करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, भूपालसागर उपस्थित। पैरोकार सरकार ने वादवर्णित तथ्यों से राजपक्ष प्रभावित नहीं होना अवगत कराया।

वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:57 IST
Reason: SelfAttested